

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद-श्रावस्ती।

पत्रांक: मु0चि0अ0/संविदा/नियुक्ति/NHM/19-20/

दिनांक 25.12.2019

वॉक-इन-इन्टरव्यू

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 463/एस0पी0एम0यू0/एच0आर0/डैप-एच0आर0/2019-20/7653-2 दिनांक 09.12.2019 तथा जिलाधिकारी, श्रावस्ती के अनुमोदन दि0 24.12.2019 के अनुपालन में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के अन्तर्गत रिक्त विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी के पद पर वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से संविदा पर दि0 31.03.2020 अथवा पी0आई0पी0 की स्वीकृति, जो भी कम हो तक के लिये निम्न मानव संसाधन की तैनाती हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू दिनांक 02.01.2020 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार, श्रावस्ती में किया जायेगा।

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या					पद हेतु शैक्षिक योग्यता	मानदेय रू0 प्रति माह
		सामा0	पिछड़ी	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल		
संयुक्त जिला चिकित्सालय, श्रावस्ती हेतु								
1.	मनोरोग विशेषज्ञ (Consultant-Psychiatrist)	01	00	00	00	01	MD/DNB in Psychiatry/DPM तथा उ0प्र0 मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत	1,50,000/-

नियुक्ति की शर्तें-

- संविदा की नियुक्ति निर्धारित अवधि दिनांक 31.03.2020 तक के लिए की जायेगी अथवा कार्यक्रम की समाप्ति तक, जो भी कम हों।
- चयन समिति के माध्यम से वॉक-इन-इन्टरव्यू के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति, श्रावस्ती के अनुमोदनोंपरान्त नियुक्ति प्रदान की जायेगी। वॉक-इन-इन्टरव्यू के समय सभी शैक्षिक योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा समस्त अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियां (02 सेट) में एवं आधार कार्ड व पैन कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), निवास प्रमाण पत्र, दो फोटोग्राफ, लाना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा और न ही अलग से सूचित किया जायेगा। 3. एक मुश्त मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। 4. इस नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति पाने का कोई दावा मान्य नहीं होगा। 5. कार्य, व्यवहार व आचरण सन्तोषजनक न पाये जाने पर सेवाएं तुरन्त समाप्त की जा सकेंगी। 6. किसी भी दशा में किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। 7. संविदा कर्मी किसी भी प्रकार के लाभ के हकदार नहीं होंगे। 8. चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा एवं जिला स्वास्थ्य समिति को बिना कोई कारण बतायें साक्षात्कार निरस्त/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा नियुक्ति से सम्बन्धित सभी विधिक विवादों का निस्तारण स्थानीय जिला न्यायालय, श्रावस्ती के जूरिसडिक्शन के अधीन होगा। 9. किसी भी अभ्यर्थी के ऊपर अभियोजन होने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, श्रावस्ती।


कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद-श्रावस्ती।

पत्रांक: मु0चि0अ0/संविदा/नियुक्ति/NHM/19-20/16291

दिनांक 25.12.2019
26

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जनपद-श्रावस्ती को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपदीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-श्रावस्ती।